भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 – 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; **वेबसाइट:** www.licindia.in

चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (''निगम''/''एलआईसी'') के सदस्यों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को 1130 बजे (भा. मा. स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड (''निदेशक मंडल'') की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।

2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और 25बी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।

3. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

4. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 12/- का अंतिम लाभांश घोषित करना।

5. निगम के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस सम्बंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्पों को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल (''बोर्ड'') द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, समय-समय पर लागू, उसमे किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं), या पुन: अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा, मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या: 106655W) की नियुक्ति को पाँच वर्षो के कार्यकाल के लिए निगम के सयुक्त लेखापरीक्षक के रूप में अनुमोदन करते है जो निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित नियमों एवं शर्तों और पारिश्रमिक पर चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से नवी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक के कार्यकाल का पद धारण करेंगे।

   आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, एतद्वारा निगम के निदेशक मण्डल को, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय(यों) और मंडल कार्यालय(यों) के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को लेखापरीक्षकों के नियुक्ति की शर्तों और नियमों सहित पारिश्रमिक को तय करने और अंतिम रूप देने तथा उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।''

विशेष व्यवसाय:

6. निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में डॉ. प्रशांत कुमार गोयल (डीआईएन: 08652921) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को भारत सरकार की 17 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के तहत से, निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नियुक्त किया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाए।''

7. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दिनेश पंत (डीआईएन: 11134993) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री दिनेश पंत की नियुक्ति भारत सरकार की 14 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने से (01 जून, 2025) और उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख (यानी, 31 मई, 2027) तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गयी है तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाए।''

8. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रत्नाकर पटनायक (डीआईएन: 10283908) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री रत्नाकर पटनायक की नियुक्ति भारत सरकार की 14 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने से (01 जून, 2025) और उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख (यानी, 31 मार्च, 2028) तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गयी है तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाए।''

9. निगम के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पो पर विचार करना और, यदि उचित हो तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 24ए के साथ पठित इसके तहत जारी परिपत्र (सहित उसमे किए किसी भी लागू वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन) और अन्य लागू कानून, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के सदस्य एतद्द्वारा, मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P1991MH040400) की नियुक्ति को पाँच वर्षो के कार्यकाल के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन करते है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के कार्यकाल का, निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित नियम एवं शर्तों और पारिश्रमिक पर पद धारण करेंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को सचिवीय लेखापरीक्षकों के नियुक्ति की शर्तों और नियमों सहित पारिश्रमिक को तय करने और अंतिम रूप देने तथा उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।''

10. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्ष लेनदेनों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम''/''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमे किए

गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमे लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमो के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, आईडीबीआई बैंक के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओ/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नही होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/ व्यवस्थाओ/ लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है :

(i) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार निगम के कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान;

(ii) जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

(iii) गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;

(iv) द्वितीयक शेयर बाजार के माध्यम से किए गए निवेश पर ब्याज आय; और

(v) सहमत प्रतिफल के बदले या जैसा की समय-समय की सहमति पर अन्य लेनदेन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/सेवाओ का एलआईसी से/को हस्तांतरण और/या जहां निगम/उसकी सहायक कंपनियां, प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री, देय शुल्क, शुल्क, राजस्व, ब्रोकरेज या किसी अन्य व्यय, जैसे कि निगरानी/डिपॉज़िटरी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, जारी करने और भुगतान अनुबंध शुल्क, साझा सेवाएं, संग्रह और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए।

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नही होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन , चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाए/व्यवस्थाए/ लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	निगम के कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान	वास्तविक रूप से, उत्पादों की नियम एवं शर्तों, व्यवसाय के पैमाने, उत्पाद मिश्रण और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार लगभग ₹ 3,950 करोड़ तक
	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों के नियम एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

संबंधित पक्ष का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
	अन्य: • प्रतिभूतियों/निवेशों की बिक्री • ब्याज आय • कमीशन • बैंक शुल्क • ब्रोकरेज़ • डिपॉजिटरी सेवाएं • सलाहकार सेवाएं	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियम एवं शर्तों, कारोबार के पैमाने और सेवाओं के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।''

11. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमे किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमे लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमो के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एचएफएल के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओ/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नही होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/ व्यवस्थाओ/ लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है:

(i) गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए; और/या

(ii) जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नही होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाए/व्यवस्थाए/ लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन–देन के लिए;	वास्तविक रूप से, ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक(ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।''

12. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ) के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पो पर विचार करना, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमे किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय–समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमे लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय–समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025–26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमो के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एमएफ के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओ/लेन–देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन–देन या समूहिक लेन–देन या लेन–देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नही होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है:

(i) डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों /किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन;

(ii) जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नही होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय–समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाए/व्यवस्थाए/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ–साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों /किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उसके संबन्धित लेन–देन	खरीद और/या मोचन, प्रत्येक के लिए लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।''

13. निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर दुरैस्वामि (डीआईएन: 10358884) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (बी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री आर दुरैस्वामि की नियुक्ति, भारत सरकार की 14 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, 2,25,000/- (निश्चित) के वेतनमान पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (अर्थात, 14 जुलाई, 2025) या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (अर्थात 28 अगस्त, 2028) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की गयी है और तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफ़ारिश के अनुसार एत्तद्वारा अनुमोदित किया जाए।''

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 22 जुलाई, 2025
स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com
वेबसाइट: www.licindia.in

टिप्पणियाँ:

1. **वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक:**

   क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 और एमसीए द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 (सेबी परिपत्र), के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को उसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अनुपालन में 30 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से AGM आयोजित करने की अनुमति दी है।

   एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त परिपत्रों, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956 या एलआईसी अधिनियम) के लागू प्रावधान, के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों , कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और इसके तहत बनाए गए नियम, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता

विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम, के अनुपालन में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से निगम की चौथी एजीएम आयोजित की जा रही है, जिससे एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय चौथी एजीएम के लिए वह सामान्य स्थल माना जाएगा।

ख. जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम) के नियम 28 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम के स्थल का मार्ग मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

ग. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणीयों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना को एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।

घ. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) कम से कम 1,000 सदस्यों के लिए पर उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

ङ. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की अवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त संकल्प/प्राधिकरण पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को info@mehta-mehta.com ईमेल पते पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com को अंकित की जाएगी।

च. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट (मत) डालने का हकदार होगा।

छ. वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते **25 जुलाई, 2025 (शुक्रवार) (कट-ऑफ तिथि)** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। चौथी एजीएम बुलाने वाली सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com के संबंधित अनुभाग पर भी देखा जा सकता है। सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगा जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए investors@licindia.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 36 (1) (बी) के अनुसार, निगम उन सदस्यों को एक पत्र भी भेज रहा है जिनका ई-मेल पता निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमे निगम की वेबसाइट का सटीक वेब-लिंक प्रदान होगा जहां पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी ।

2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 28 अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो इस सूचना के मद संख्या 4 से 13 के तहत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।

3. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार चौथी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (कों) के संबंध में के आवश्यक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक - ए

के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक (कों) से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।

4. अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 12/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के परियोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, जुलाई 25, 2025 है।

ख. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश, चौथी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को 24 सितंबर, 2025 (बुधवार) तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर /डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।

ग. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वह अपने डीमैट खाते का रखरखाव रखते हैं, का उपयोग निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक जनादेश के किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अतः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डिपी) को तत्काल दें।

घ. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह निगम के आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा (i) हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति जिसमें सदस्यों का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात बैंक खाता संख्या, बैंक की शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रद्द चेक की लीफ, जमा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) जनादेश को पंजीकृत करें।

ङ. जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अध्यतन नहीं किया है, उन्हें, निगम किसी अन्य अनुमत साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।

च. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को जारी किए गए सेबी परिपत्र के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, और अनिवार्य किया है कि, 1 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से ही किया जाएगा, यदि फोलियो केवाईसी अनुपालन है। ऐसे फोलियो को सभी विवरणों, पिन कोड के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार से जुड़े वैध पैन, नामांकन, नमूना हस्ताक्षर आदि सहित संपर्क विवरण के पंजीकरण पर केवाईसी अनुपालन के रूप में माना जाएगा। सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर संबंधित एफएक्यू प्रकाशित किए गए हैं और इन्हें https://www.sebi.gov.in/sebišdata/faqfiles/sep-2024/1727418250017.pdf पर देखा जा सकता है।

5. अंतिम लाभांश पर स्रोत पर कर (टीडीएस):

आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) यथा संशोधित,के प्रावधानों के अनुसरण में, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और निगम को आईटी अधिनियम के साथ पठित कर संधि के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधन देखें।

एक निवासी व्यक्तिगत सदस्य और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हे पैन के साथ फॉर्म नंबर 15 जी / 15 एच, जैसा लागू हो, में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी सदस्य भारत और अपने निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन है, अर्थात, जैसे की कोई स्थायी प्रतिष्ठान नही होने पर घोषणा, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके लिए मंगलवार, 08 जुलाई, 2025 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डिपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

6. **सदस्यों को अपने विवरण में परिवर्तन करने के लिए सूचना देनी होगी:**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह अपने बैंक खाते का विवरण, अर्थात; बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, निगम के आरटीए यानी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम) सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 में विधिवत भरे गए फॉर्म आईएसआर -1 और संबंधित प्रमाणों के साथ, प्रस्तुत करें ।

जो सदस्य डिमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और बैंक खाते का विवरण प्रदान करना/बदलना/सही करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) को भेजना है न कि निगम को। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह अपने बैंक का एमआईसीआर कोड अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें। निगम ऐसे सदस्यों से पते में परिवर्तन, नामों के स्थानांतरण, मृतक संयुक्त धारक के नाम को हटाने और बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन के लिए किसी भी सीधे अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। लाभांश का भुगतान करते समय, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ऐसे डिमैटरीज्ड शेयरों के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह उचित सावधानी बरते और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में निगम या आरटीए को जल्द से जल्द सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से आवधिक शेयरधारिता का विवरण प्राप्त किया जा सकता है, और समय-समय पर शेयरधारिता को सत्यापित किया जाना चाहिए।

7. **शेयरों का अभौतिकरण:**

सदस्य कृपया ध्यान दे कि सेबी सूचीकरण विनियम के अनुसरण में भौतिक रूप में धारित सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के स्थानांतरण, पारेषण और अंतरण को केवल डीमैट रूप में अधिदेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 के साथ पठित समय-समय पर जारी सेबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को निम्न सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेन्स खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनिमय; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें, सदस्य सहायता के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

8. **विवाद के समाधान के लिए :**

सेबी ने मास्टर परिपत्र सं सेबी/एचओ/ओआईएई/ ओआईएई_आईएडी -1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (''ODR पोर्टल'') की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दें, कि निगम और/या उसके आरटीए के खिलाफ किसी भी भारतीय प्रतिभूति बाजार से उत्पन्न विवादों के मामले में ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (https://smartodr.in/login) के माध्यम से विवाद समाधान दायर कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution. के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है ।सदस्य इस तंत्र का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वह निगम और स्कोर्स के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दें और निवारण के परिणाम से संतुष्ट न हों।

9. **अस्वामिक लाभांश और आईईपीएफ:**

जो सदस्य एसे लाभांश का दावा करना चाहते हैं, जिनका दावा नहीं किया गया हैं, उनसे अनुरोध है कि वह नियत तारीखों से पहले पुनर्वैधीकरण और नकदीकरण के लिए निगम से investors@licindia.com या आरटीए से einward.ris@kfintech.com पर पत्राचार करें। दावा न किए गए लाभांशों का विवरण निगम की वेबसाइट पर www.licindia.in पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वह ध्यान दे कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत अस्वामिक लाभांश खाते में अंतरित होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अस्वामिक अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना अवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अस्वामिक / अदावाकृत रहते हैं, तो उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

10. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्टरों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

11. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए:

(1) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@licindia.com या einward.ris@kfintech.com पर प्रदान करें।

(2) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16-अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिन्दु 15 के चरण 1 (ए) में नीचे बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि।

(3) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।

12. **एजीएम से पहले/दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग:**

(1) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले मदों पर कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को 'दूरस्थ ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जा रही है । इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के ई-वोटिंग सिस्टम के साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

(2) मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी या आरटीए द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य या गैर-व्यक्तिगत सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सूचना के भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 19 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(3) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयर अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी 19 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को शेयर धारण करते हैं, वह बिन्दु संख्या 15 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

(4) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शुरू होगी और सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर

दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार 19 अगस्त, 2025 को निगम की चुकत्ता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

(5) एजीएम में वीसी/ओएवीएम कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को पारित माना जाएगा।

(6) एजीएम के दिन दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

13. श्री अतुल मेहता (सदस्यता संख्या: एफसीएस 5782) और उनके विफल होने पर सुश्री अश्विनी इनामदार (सदस्यता संख्या: एफसीएस 9409) मैसेर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

14. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

I. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए बिन्दु संख्या 15 के तहत दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों (Join General Meeting) मेनू के तहत रखा गया वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का EVEN (134730) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वह अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लेखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

II. सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए उन्हे स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

III. सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न **बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शुक्रवार 22 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) तक,** investors@licindia.com पर भेज सकते है । सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

IV. जो सदस्य बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **गुरूवार, 21 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शनिवार, 23 अगस्त 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.)** के बीच investors@licindia.com पर अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

V. जिन सदस्यों को बैठक में भाग लेने और भाग लेने के लिए एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल sanjeevy@nsdl.com/022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

15. **दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स) से शुरू होगी और सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स)** समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 19 अगस्त, 2025** को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में मौजूद होंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में ''दो चरण'' शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 09 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य।	1. ओटीपी पर आधारित लॉगिन के लिए आप लिंक https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8-अंकों की डीपी आईडी, 8-अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल पते/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर मौजूदा आईडीईएएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते है । ई-सर्विसेज होम पेज पर लॉगिन के तहत लाभकारी स्वामी **("Beneficial Owner")** आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएएस' अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत **''ई-वोटिंग तक पहुंच'' ("Access to e-voting")** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि आप आईडीईएएस (IDeAS) ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां https://eservices.nsdl.com उपलब्ध है **''आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें''** को चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com को व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र पर टाइप करके खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमे आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **''एनएसडीएल स्पीड'' ("NSDL Speede")** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल के ईज़ी (Easi)/ईजीस्ट (Easiest) का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ताओं आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईज़ी/ ईजीस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाए और लॉगिन आइकन एवं न्यू सिस्टम माईईज़ी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईज़ी उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी / ईजीस्ट के उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन एवं न्यू सिस्टम माईईज़ी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से अपने डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते है। प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगे।
व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-22-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप मौजूदा आईडीईएएस (IDEAS) लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ लॉगिन कर सकते हैं । अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर जा सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डाल सकेगे।

4. आपका उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, अगर आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12 है****** तो आपकी यूजर ID IN300***12****** है.
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 है********** तो आपकी यूजर आईडी 12 है**********
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

   I. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना मत डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   II. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Intial Password) प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   III. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      1. अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकरण है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ईमेल खोल, आपके मेल-बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाए,और अटैचमेंट, यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड NSDL अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, CDSL अकाउंट के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Intital password) होता है।

      2. यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप पुन: प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) **''उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?'' ("Foregt User Details/Passwprd")** पर क्लिक करे (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? ("Physical user reset password")** (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकरत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम और शर्तों'' से सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों।

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को **"EVEN"** देख पाएंगे जिनमें आप शेयर धारण कर रखे हैं और जिनके मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी के **"EVEN"** का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं और सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको जॉइन जनरल मीटिंग के तहत रखे गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और ''सबमिट'' ("Submit") पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर पुष्टि करें ("Confirm") पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, ''वोट सफलतापूर्वक डाला गया'' ("Vote Cast Sucessfully") संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप प्रस्तावों पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. **वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:**

i. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।

ii. केवल वह सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

iii. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

iv. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए बिंदू 14(v) पृष्ठ संख्या 12 पर किया गया है।

17. **सदस्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**

i. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए? या भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें? पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाना होगा।

ii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को नामित ई-मेल आईडी sanjeevy@nsdl.com पर और/या evoting@nsdl.com को अनुरोध भेजें सकते है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यातमक विवरण

मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 28बी के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 12/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 7589.99 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा। यह 15.76% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वह सूचना में निर्धारित मद संख्या 4 के तहत निहित प्रस्ताव को स्वीकार करें।

मद संख्या 5

यह व्याख्यात्मक विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम या सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 36 (5) के संदर्भ में है, हालांकि वैधानिक रूप से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियमों, 1956 के नियम 28 के (एलआईसी नियम) के संदर्भ में आवश्यक नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25(9) के अनुसार मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101872W/W100045) को निगम के निदेशक मंडल द्वारा पांच साल के लिए निगम के संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो निगम की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक पद धारण करने के लिए किया गया जोकी कैलेण्डर वर्ष 2025 में होगी। मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्यकाल चौथी एजीएम के समापन पर समाप्त हो रहा है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 22 के प्रावधानों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर नीति, जिसे समय-समय पर संशोधित किया, सेबी सूचीबद्धता विनियम, और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसरण में, निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है।

पूर्वगामी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस एजीएम में निगम के संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट की अवधि पूरी होने पर, निगम के निदेशक मंडल ने उद्योग के अनुभव, सूचीबद्ध कंपनियों के अनुभव, लेखापरीक्षा टीम की योग्यता, लेखापरीक्षा के संचालन में दक्षता जैसे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन और विचार करने के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (''सी एंड एजी'') रैंकिंग, आदि, और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति को निदेशक मंडल और निगम लेखापरीक्षकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने वाले पारिश्रमिक पर, निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए चौथी एजीएम के समापन से वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली निगम की नवी (9वीं) एजीएम के समापन तक, नियुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, मुंबई आधारित लेखापरीक्ष फर्म है जिसे 51 वर्षों का अनुभव है। कुल 11 भागीदार हैं जिनमें से 7 भागीदार विशेष रूप से लेखापरीक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फर्म के पास लगभग 200 लोगों की एक टीम है, जो पूरे भारत में ग्राहकों की सेवा कर रही है। यह फर्म एक एकीकृत पेशेवर सेवा फर्म है जो अपने ग्राहक को लेखापरीक्षा (ऑडिट), कराधान (टैक्सेशन) और परामर्श (कंसल्टेंसी) जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी ने निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सहमति दी है और पुष्टि की है कि नियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी और लागू कानूनों के अनुसार वह निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। निगम के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित फर्म का नाम एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प में दिया गया है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, निगम के क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों की आवधिक रूप से लेखापरीक्षा/सीमित समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। उक्त नियुक्ति निगम के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम विभिन्न सांविधिक विनियमों और बैंकों, सांविधिक प्राधिकरणों, लेखापरीक्षा संबंधी सेवाओं और समय-समय पर अपेक्षित अन्य अनुमत गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं के तहत लेखापरीक्षकों (अर्थात निगम लेखापरीक्षकों, क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों और मंडल लेखापरीक्षकों) से प्रमाणपत्र भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। जैसा कि लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

व्यावहारिक रूप से कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित और निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, समय-समय पर यथा संशोधित और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अवधि एवं अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक के अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को डॉ. मारुति प्रसाद तन्गिराला के स्थान पर अगले आदेश तक निगम का सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, त्रिपुरा कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान पर कार्य कर रहे हैं। निदेशक के रूप में वित्तीय सेवा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न विषयों पर काम किया है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1सी) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली सामान्य बैठक में लिया जाए। तदनुसार, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में डॉ प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार के अलावा, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक हैं, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दिनेश पंत को कार्यभार संभालने की तारीख 01 जून, 2025 को या उसके बाद से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मई, 2027) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री पंत ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री दिनेश पंत, 01 जून, 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालने से पहले निगम के नियुक्त बीमांकिक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) रहे हैं। वह भारतीय एक्चुअरीज संस्थान और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, यूके के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में डिग्री है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री दिनेश पंत की निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 7 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री दिनेश पंत और उनके रिश्तेदार के अलावा, मद संख्या 7 के तहत निहित प्रस्ताव को पारित करने में कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के तहत श्री रत्नाकर पटनायक को कार्यभार संभालने की तारीख 01 जून, 2025 या उसके बाद से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मार्च, 2028) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री पटनायक ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री रत्नाकर पटनायक ने वर्ष 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना आजीविका शुरू किया। पारंपरिक विपणन में अपने 22 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंदौर और जमशेदपुर मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय प्रबंधक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), पूर्वी क्षेत्र जैसे विभिन्न नेतृत्व पदों पर निगम में काम किया। उन्होंने प्रमुख (निवेश- फ्रंट ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस), केन्द्रीय कार्यालय और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के रूप में भी काम किया है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री रत्नाकर पटनायक की निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति का औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 8 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री रत्नाकर पटनायक और उनके रिश्तेदार के अलावा, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 8 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 24ए के अनुसरण में, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा सचिवालीय लेखापरीक्षा करवानी होगी, जो समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 24ए अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि 01 अप्रैल, 2025 से, सूचीबद्ध संस्थाओं को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को लगातार पांच वर्षों के एक कार्यकाल से अधिक नहीं या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की एक फर्म को लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक नही के लिए सदस्यों के अनुमोदन से नियुक्त करना आवश्यक है। ऐसे सचिवीय लेखापरीक्षकों को एक समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव होना चाहिए और सूचीबद्धता विनियमों के तहत निर्दिष्ट किसी भी अयोग्य नहीं होने चाहिए।

मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. (''एसएनएसीओ'') प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की एक प्रतिष्ठित फर्म है, जिसकी स्थापना 1991 में श्री एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन - फेलो सदस्य और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई थी। चार दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ, श्री अनंतसुब्रमण्यन ने फर्म की उत्कृष्टता और नियामक विशेषज्ञता की विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसएनएसीओ का नेतृत्व पांच भागीदारों की एक टीम द्वारा किया जाता है और अनुभवी और योग्य कंपनी सचिवों के एक कैडर द्वारा समर्थित है। फर्म सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस परामर्श, नियामक और अनुपालन सलाहकार और विभिन्न कॉर्पोरेट कानूनों के तहत प्रमाणन शामिल हैं। अपने परिश्रम, गहरी नियामक अंतर्दृष्टि और अटूट पेशेवर अखंडता के लिए प्रसिद्ध फर्म है, एसएनएसीओ ने खुद को सचिवीय लेखापरीक्षा और कॉर्पोरेट कानून अनुपालन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित किया है।

निगम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और तकनीकी क्षमताओं, पेशेवर स्वतंत्रता, उद्योग-विशिष्ट अनुभव, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता, लेखापरीक्षक भागीदारों और टीम की ताकत और प्राप्त अंकों के आकलन सहित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के व्यापक मूल्यांकन के बाद, निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर, मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. (फर्म पंजीकरण संख्या P1991MH040400) की निगम के

सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। नियुक्ति लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए है, जो वर्तमान वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से शुरू होती है और वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली नवी (9वीं) एजीएम के समापन तक जारी रहेगी, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों से और 31 मार्च 2030 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक की अवधि शामिल है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए एसएनएसीओ को भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित शुल्क ₹ 6,50,000/- (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) है और लागू कर और जेब खर्च भी शामिल है। प्रस्तावित शुल्क में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है जिनका निगम द्वारा एसएएनसीओ से लाभ उठाया जा सकता है।

एसएनएसीओ ने सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, पुष्टि की है कि उनके पास आईसीएसआई द्वारा जारी एक वैध समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र है और उन्हें सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

तदनुसार, निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में एसएएनसीओ की नियुक्ति को अनुमोदित करने और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर सचिवीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 9 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 10

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 10 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधो/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृती मांगी जा रहीं है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यहा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) **अन्य जानकारी:**

निगम के लिए कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान

आईडीबीआई बैंक लागू कानूनों के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ पंजीकृत एक कॉर्पोरेट अभिकर्ता है। निगम ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। निगम, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन का भुगतान करता है। भुगतान किए गए शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों अर्थात् व्यवसाय की मात्रा, उत्पाद मिश्रण, विनियामक दिशानिर्देशों आदि पर निर्भर करता है। आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता, समझौते की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है। इस बैंकाश्योरेंस साझेदारी के रणनीतिक लाभ बहुआयामी हैं और लंबे समय तक सामने आते रहेंगे।

वित्त पोषित और गैर–वित्त पोषित सुविधाएं

निगम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न बैंकों (संबंधित/असंबंधित पक्षों) से निधि आधारित और गैर–निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दरें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बैंक को भुगतान किया गया ब्याज और शुल्क व्यय ऋण, गारंटी, नकद क्रेडिट आदि के रूप में मूल लेनदेन से होने वाले परिणामी लेनदेन हैं। इसलिए, लेनदेन की मात्रा मूल लेनदेन के मूल्य पर निर्भर करती है। आईडीबीआई बैंक के पास भारत में शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है जो बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;

वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार।

निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवांत हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।

गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं जारी करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन–देन के लिए;

संबंधित पक्षों से प्रतिभूतियों के अभिदान/मोचन से संबंधित लेन–देन निगम द्वारा अपने निवेश गतिविधियो के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। निवेश करने का निर्णय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार की स्थिति, मूल्यांकन, जारी करने का आकार, नियामक सीमाएं आदि और विनियामक अनुमोदन के अधीन, जो भी लागू हो। इस प्रकार, लेनदेन के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। प्राथमिक बाजार में संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों को निगम द्वारा प्रचलित बाजार दर पर और उन्हीं शर्तों पर अभिदान दिया जाता है जिन पर इन प्रतिभूतियों को सभी भावी निवेशकों को पेश किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार खरीद प्रचलित बाजार दरों/उचित मूल्यों पर निष्पक्ष आधार पर की जाती है। लेनदेन की अवधि प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी। निगम अपने सामान्य कारोबार क्रम में जोखिम प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, अपेक्षित विनियामक अनुपात के अनुरक्षण का प्रबंध करने और मूल्य/प्रतिफल उतार–चढ़ाव का लाभ उठाकर व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए उपर्युक्त लेनदेनों में प्रवेश करता है।

अन्य लेनदेन

शुल्क, कमीशन, ब्रोकरेज़, प्रीमियम, किराया, प्रतिपूर्ति, किसी अन्य आय/व्यय और डिपॉज़िटरी प्रतिभागी द्वारा की गयी गतिविधिया, अभिरक्षक सेवाओं और निवेश बैंकिंग आदि के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों सहित आईडीबीआई बैंक के साथ अन्य अनुबंध/लेनदेन/व्यवस्थाएं जो निगम के कारोबार की सामान्य कर्म में हो सकती हैं।

निवेश पर ब्याज आय, निगम द्वारा धारित/अभिदत्त लेख पत्र की नियम एवं शर्तों के अनुसार और ब्याज दर अनुरूप होगी।

निगम अपने नियमित कारोबार के दौरान निगम द्वारा ऋण/अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेन–देन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं उठाता है। उपर्युक्त लेनदेनों में संबंधित पक्ष की संबंध/हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार है इसलिए वह निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नही होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 10 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकिता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित/इच्छुक नहीं हैं।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 10 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 11

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना , किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष हैं।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 11 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधो/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र्य लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृती मांगी जा रहीं है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यहा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) **अन्य जानकारी:**

क्र. सं.	विवरण	लेन–देन का प्रकार	
		गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन–देन के लिए	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए
1	लेन–देन का मूल्य	प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यदि एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई ऋण प्रतिभूतिया प्रस्तावित है तो यह एलआईसी की बोली के अध्यधीन है,	उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	लेनदेन की शर्तें एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार और लागू कानूनों के अनुसार होंगी	प्राप्त प्रीमियम उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या हित की प्रकृति (वित्तीय/ अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन–देन की अवधि	एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार	चुने गए उत्पाद की पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार।
5	लेनदेन का मूल्य प्रतिशत/पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्तीय वर्ष 2024–25 के समेकित कारोबार के आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, अवधि, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेन–देन का प्रकार	
		गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन–देन के लिए	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए
10	संबंधित पार्टी लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निगम लागू कानूनों और प्रस्ताव पत्र के प्रावधानों के अनुसार एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी ऋणपत्र जैसे एनसीडी/किसी अन्य प्रतिभूतियों की भी अभिदान ले सकता है। निगम एनसीडी या किसी अन्य प्रतिभूतियों को विक्रय के लिए भी पात्र है, यदि कोई पहले या वर्ष के दौरान अभिदान की गई हो तथा निगम के हित में सभी निवेशकों के लिए समान रूप से लागू ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त करने के लिए भी पात्र है।	निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवांत हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार है इसलिए वह निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नही होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 11 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकिता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित/इच्छुक नहीं हैं।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 11 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 12

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना , किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष हैं।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्धता इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

निगम ने 22 अगस्त, 2024 को आयोजित निगम की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में एलआईसी एमएफ के साथ भौतिक संबन्धित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो चौथी एजीएम तक मान्य हैं। इस प्रकार, निगम को भौतिक संबन्धित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 12 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षक लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधो/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र्य लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृती मांगी जा रहीं है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यहा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों /किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;
1	लेन-देन का मूल्य	खरीद और/या मोचन, प्रत्येक के लिए लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक	उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यापार के पैमाने के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	90 दिन का मोचन	प्राप्त प्रीमियम, उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या हित की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	90 दिन	चुने गए उत्पाद की पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार।
5	लेनदेन का मूल्य प्रतिशत/पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्तीय वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	खरीद और/या मोचन प्रत्येक के लिए 7.13%	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेन–देन का प्रकार	
		डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों /किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	निवेश योग्य अधिशेष	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, कार्यकाल, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	निधियों की अस्थायी पार्किंग आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निधियों की अस्थायी पार्किंग आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार	निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवांत हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति भी शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नही होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निगम द्वारा एलआईसी एमएफ के साथ प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए अपनी सर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्य में उल्लिखित बातें भी शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति ने यह संज्ञा में लिया है कि एलआईसी एमएफ के साथ उक्त लेनदेन निगम के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा समिति को लेनदेन का विवरण, जिसमें आवश्यक शर्तें और मूल्य निर्धारण का आधार शामिल है, प्रदान किया है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 12 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकिता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित/इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 12 के अंतर्गत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 13

भारत सरकार ने 14 जुलाई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री आर दुरैस्वामि, प्रबंध निदेशक, को प्रभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (यानी, 28 अगस्त, 2028) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ₹ 2,25,000/- (निश्चित) के वेतनमान पर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

तदनुसार, श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई, 2025 को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे। वह 17 वें बैच के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी है और उन्हे संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविद में 39 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव हैं। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री आर दुरैस्वामि की निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 13 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री आर दुरैस्वामि और उनके रिश्तेदार के अलावा, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 13 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 13 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: जुलाई 22, 2025
स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com
वेबसाइट: www.licindia.in

अनुलग्नक – ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक – 2 के संदर्भ में, नियुक्त होने वाले निदेशक के संबंध में विवरण:

निदेशक का नाम	डॉ. प्रशांत कुमार गोयल		
उम्र	45 वर्ष		
राष्ट्रीयता	भारतीय		
योग्यता	एमबीबीएस		
डीआईएन	08652921		
संक्षिप्त विवरण	डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, त्रिपुरा कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान पर कार्य कर रहे हैं। निदेशक के रूप में वित्तीय सेवा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न विषयों पर काम किया है। डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, केनरा बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी (एनआईए) के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. गोयल भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अंशकालिक सदस्य, बीमा लोकपाल परिषद के सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया की परिषद के सदस्य भी हैं। डॉ. गोयल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है। उन्हें पंजाब और त्रिपुरा राज्य में शिक्षा और उद्योग और वाणिज्य विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव भी है ।		
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्तीय सेवाएं, बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन		
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 17 अप्रैल, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsšPolicyšupdatedš08082024š.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं।		
पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं		
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	17 अप्रैल, 2025		
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य		
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं		
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की पाँच (5) बैठके आयोजित की है। जिनमें डॉ. गोयल सभी बैठकों में सरकार द्वारा नामित निदेशक की रूप में उपस्थित रहें है।		
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	**कंपनी का नाम**	**बोर्ड सदस्यता**	**समिति/सदस्यता (लेखापरीक्षा समिति/हितधारकों के संबंध समिति)**
	केनरा बैंक	सरकार नामित निदेशक	लेखापरीक्षा समिति–सदस्य
	दि न्यू इन्डिया एशोरेन्स कंपनी लिमिटेड	सरकार नामित निदेशक	लेखापरीक्षा समिति–सदस्य हितधारकों के संबंध समिति–अध्यक्ष
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		

निदेशक का नाम	श्री दिनेश पंत
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बीटेक, एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, यूके के फेलो सदस्य और एमबीए
डीआईएन	11134993
संक्षिप्त विवरण	श्री दिनेश पंत 1 जून 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के नियुक्त बीमांकिक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) थे। वह इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, यूके के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में डिग्री है। 2017 में नियुक्त बीमांकिक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री पंत ने एलआईसी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए उत्पाद-बीमांकिक और बीमांकिक के रूप में लगभग पांच साल का अनुभव प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र उत्पाद और बीमांकिक रणनीति का नेतृत्व किया, और उन्हें निगम के व्यापार ढांचे के साथ संरेखित किया। विशेष रूप से, वह उन कुछ एलआईसी अधिकारियों में से हैं, जिन्होंने भारत में प्रमुख शाखाओं में विपणन संचालन और एक प्रतिष्ठित विदेशी जीवन बीमा ऑपरेशन के सफल कार्यकाल के बाद बीमांकिक कार्यों के विशेष क्षेत्र में रूपान्तरण किया। इससे पहले, 2002 में आईआईएम-अहमदाबाद द्वारा प्रशिक्षण के बाद, अंततः निगम के महत्वपूर्ण ट्रेजरी डेस्क का नेतृत्व करने से पहले,वह एलआईसी के निवेश अनुसंधान टीम में शामिल हुए, ऋण, इक्विटी, पुनर्गठन, उद्यम निधि और परियोजना वित्त सहित विभिन्न निवेश कार्यों में व्यापक एक्स्पोजर प्राप्त किया। नियुक्त बीमांकिक के रूप में, श्री पंत, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2022 में निगम के मेगा आईपीओ (IPO) की सफल प्लानिंग और लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईपीओ के बाद एलआईसी को लाभदायक और सतत विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य का निर्माण हुआ। इससे पहले अपने करियर में, उन्हें केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या में महाप्रबंधक (लाइफ) के रूप में जीवन संचालन का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ, जहा उन्होने पांच वर्षों से अधिक समय तक इस समग्र बीमा कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय के विपणन और समग्र संचालन की देखरेख की। 1989 में एक प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल होने के बाद से, उन्हे अधिकांश परिचालन क्षेत्रों का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होने अपने बैच से सबसे कम उम्र के सहायक शाखा प्रबंधक (बिक्री) के रूप में एक छोटा कार्यकाल किया, जिसके बाद उन्हे भारतीय बीमा जीवन निगम की राजस्थान और दिल्ली की कुछ सबसे प्रतिष्ठित शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेश अनुसंधान कक्ष में शामिल होने से पहले प्रबंधक (नया व्यवसाय और बीमांकिक) एवं प्रबंधक कानूनी की भूमिका निभाई।

निदेशक का नाम	श्री दिनेश पंत
	श्री पंत, 2017 से एलआईसी के बोर्ड में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं और उन्होंने कई उप-समितियों में काम किया है, जैसे कि निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लाभ संबंधी समिति। वह उत्पादों, मूल्यांकन, और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं रणनीतियों सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को सलाह देते हैं। शिक्षा के लिए एक उत्साही समर्थक, श्री पंत ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी सहित विभिन्न संस्थानों में अतिथि संकाय सदस्य के रूप में शिक्षा जगत में योगदान दिया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र की पेशेवर निकायों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की है। इसके अलावा, उन्होंने पेशेवर निकायों और नियामकों की विभिन्न समितियों में कार्य किया है, जिसमें फिक्की की स्वास्थ्य समितियां और पीएफआरडीए की पेंशन सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने आईआरडीएआई द्वारा गठित कई समितियों और उप-समितियों की अध्यक्षता की है और सदस्य रहे हैं, जो उत्पाद नियमों, सूचकांक-लिंक्ड उत्पादों, निवेश और जोखिम-आधारित पूंजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बीमा और वित्त के प्रमुख और विशिष्ट क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ, श्री दिनेश पंत, उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	बीमांकन, प्रशासन, वित्त, विपणन, निवेश संचालन, जीवन बीमा और निगमित प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsšPolicyšupdatedš08082024š.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं
पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवाओं के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम 1988
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	01 जून, 2025
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की दो(2) बैठकें आयोजित की है। जिसमें श्री पंत, प्रबंध निदेशक, सभी बैठकों में उपस्थित रहें है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	शून्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री रत्नाकर पटनायक
उम्र	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	भौतिक विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स), लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा धारक
डीआईएन	10283908

निदेशक का नाम	श्री रत्नाकर पटनायक
संक्षिप्त विवरण	श्री रत्नाकर पटनायक ने वर्ष 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। पारंपरिक विपणन में अपने 22 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंदौर और जमशेदपुर मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय प्रबंधक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), पूर्वी क्षेत्र जैसे विभिन्न नेतृत्व पदों पर निगम की सेवा की। उन्होंने चीफ (निवेश- फ्रंट ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस), केंद्र कार्यालय और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के रूप में भी काम किया है। भौतिक विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स), लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा धारक भी है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा, निवेश संचालन और निगमित प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorssPolicyšupdatedš08082024š.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं।
पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवाओं के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम 1988
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	01 जून, 2025
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की दो(2) बैठकें आयोजित की है। जिसमें श्री पटनायक, प्रबंध निदेशक, सभी बैठकों में उपस्थित रहें है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	शून्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री आर दुरैस्वामि
उम्र	59 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी.एससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य, और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य
डीआईएन	10358884
संक्षिप्त विवरण	श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे।

निदेशक का नाम	श्री आर दुरैस्वामि
	वह 17 वें बैच के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी है और उन्हे संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविद में 39 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव हैं। प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री आर दुरैस्वामि ने बैंकाश्योरेंस, समूह व्यवसाय, ग्राहक संबंध, वित्त, अनुपालन कार्यों आदि के माध्यम से विपणन का नेतृत्व किया। उन्होंने कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन / मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), कोट्टायम मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-I, तंजावुर और पुणे मण्डलों के विपणन प्रबंधक के रूप में संगठन के भीतर विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। उन्होंने मुख्य और कार्यकारी निदेशक के रूप में एलआईसी के व्यक्तिगत व्यवसाय के सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया है। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में समूह बीमा विपणन के क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हासिल किया। राष्ट्रिय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, उत्पाद विकास और बीमा प्रबंधन और चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में स्नातकोत्तर कार्यकर्मों के कई परियोजनाओं पर काम किया है। श्री दुरैस्वामि, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और भारतीय बीमांकक संस्थान के छात्र सदस्य हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा और नगमित प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 जुलाई, 2025 के अनुसार, अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsšPolicyšupdatedš08082024š.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं।
पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 जुलाई, 2025 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्य कार्यकारी (सेवाओं के निश्चित नियमों और शर्तो में संशोधन) नियम 1998। प्रबंध निदेशक के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किये गए पारिश्रमिक के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित अभिशासन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 95 देखें।
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	01 सितम्बर 2023
निगम में शेयरधारिता का विवरण	35 इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	कृपया वित्त वर्ष 2024-25 की बोर्ड की बैठकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित शासन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 65 से 66 पर देखें। वर्तमान वित्त वर्ष में निगम ने इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की पाँच (5) बैठकें आयोजित की है। जिसमें श्री दुरैस्वामि सभी बैठकों में प्रबंध निदेशक के रूप में उपस्थित रहें है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित अभिशासन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 66 से 69 पर देखें।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

(अस्वीकरण: चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/ त्रुटि होने की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जाएगा।)

महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.सं.	विवरण	जानकारी
1	एजीएम की तिथि और समय	मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को 1130 बजे (भा. मा. स.)
2	प्रबंध करने का तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (''ओएवीएम'')
3	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक	https://www.evoting.nsdl.com/ (विवरण के लिए कृपया इस नोटिस के नोट्स के तहत पैरा 15 देखें)
4	एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता के लिए एनएसडीएल का संपर्क विवरण	ईमेल: evoting@nsdl.com संपर्क नंबर: 022-48867000 सदस्य इससे जुड़ सकते हैं: श्री संजीव यादव (सहायक प्रबंधक-एनएसडीएल) sanjeevy@nsdl.com
5	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, जुलाई 25, 2025
6	ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, अगस्त 19, 2025
7	ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि	शनिवार, 23 अगस्त, 2025 0900 बजे (भा. मा. स.)
8	ई-वोटिंग खत्म होने की तिथि	सोमवार, 25 अगस्त, 2025 1700 बजे (भा. मा. स.)
9	ई-वोटिंग इवेंट नंबर (EVEN)	134730
10	स्पीकर शेयरधारक के रूप में पंजीकरण	गुरूवार, 21 अगस्त, 2025 से 0900 बजे (भा. मा. स.) से शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) तक investors@licindia.com को ईमेल भेजें (कृपया अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से अनुरोध भेजें और पंजीकरण के लिए भेजे गए ई-मेल में नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें)
11	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	नाम : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम)
		पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगा रेड्डी, तेलंगाना, भारत -500032
		रजिस्टर प्रश्नों के लिए ईमेल आईडी : Einward.risk@fintech.com
		टोलफ्री नं. : 1800 309 4001
		व्हॉट्सअप : +91-91000-94099
		वेबसाइट : https://ris.kfintech.com/
		निवेशक सहायता केंद्र : https://kprism.kfintech.com/
12	एजीएम का लाइव वेबकास्ट	https://www.evoting.nsdl.com/
13	एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के लिए क्यू आर कोड	

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

NOTICE OF THE 4TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 26TH DAY OF AUGUST, 2025, AT 1130 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited standalone financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

2. To consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, together with Report of Auditors thereon, in terms of Section 24B and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

3. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

4. To declare final dividend of ₹ 12/- per equity share of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2025 as recommended by the Board in terms of Section 28B (1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

5. To appoint Corporation's Auditor and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION:

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, as applicable, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of M/s. Mukund M. Chitale & Co, Chartered Accountants (Firm Registration No.: 106655W), as the Joint Auditors of the Corporation to hold office for 5 (five) years, from the conclusion of 4th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation till conclusion of the 9th AGM of the Corporation, on such terms & conditions and remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time.

   RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint auditors for Zonal Office(s) and Divisional Office(s) of the Corporation for the term and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

   RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the whole time Director of the Corporation, be and are hereby authorised to decide and finalize terms and conditions of appointment including remuneration of the Auditors and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions."

SPECIAL BUSINESS:

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal (DIN: 08652921) as Government Nominee Director of the Corporation:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal vide Government of India's notification dated April 17, 2025, appointing him as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved as recommended by the Board."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri Dinesh Pant (DIN: 11134993) as Managing Director of the Corporation:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation vide Government of India's notification dated May 14, 2025, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., June 01, 2025 and upto the date of his attaining superannuation (i.e., May 31, 2027), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri Ratnakar Patnaik (DIN: 10283908) as Managing Director of the Corporation:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation vide Government of India's notification dated May 14, 2025, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., June 01, 2025 and upto the date of his attaining superannuation (i.e., March 31, 2028), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board."

9. To consider and, if though fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, as the Secretarial Auditors of the Corporation for a term of five consecutive years from the Financial Year 2025-26 to the Financial Year 2029-30:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 24A of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with circular issued thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and other applicable laws, if any, M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries (Firm Registration Number: P1991MH040400) be and is hereby appointed as Secretarial Auditor of the Corporation, for a term of five (5) consecutive financial years commencing from financial year 2025-26 and upto financial year 2029-30, on such terms & conditions and remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time.

   RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the Whole Time Director of the Corporation, be and are hereby authorized to decide and finalize terms and conditions of appointment including remuneration of the Secretarial Auditors, from time to time and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolution."

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with IDBI Bank Limited ("IDBI Bank"):

    "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof (applicable laws), the 'Policy on dealing with Related Party Transactions' of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with IDBI Bank, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of

continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

(i) payment of fees/remuneration/commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI);

(ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;

(iii) subscription/redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto;

(iv) interest income on investments made through secondary market; and

(v) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Corporation/its subsidiaries would purchase/ sell securities, fees payable, charges, revenue, brokerage or any other expenses, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities.

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, *inter alia* as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
IDBI Bank Limited	Payment of fees/ remuneration/ commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business, product mix and regulatory guidelines
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	Upto ₹ 3,950 crore (approx..), as per the terms and conditions of the products and the scale of business
	Subscription/Redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the prospective products and the scale of business
	Others: • Sale of securities/ investments • Interest income • Commission • Bank charges • Brokerage • Depository Services • Advisory Services	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business and services

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions."

11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Housing Finance Limited ("LIC HFL"):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws), the 'Policy on dealing with

Related Party Transactions' of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Housing Finance Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

(i) subscription/redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto; and/or

(ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
LIC Housing Finance Limited	Subscription/Redemption to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the NCDs/any other securities
	Premium/Fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions."

12. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LIC MF"):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws), the policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

i. purchase/redemption of units of direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto;

ii. premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, *inter alia* as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Purchase/ Redemption of units of direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Approximately up to ₹ 35,000 crore each for Purchase and/or Redemption
	Premium/Fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions."

13. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri R Doraiswamy (DIN: 10358884) as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(b) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri R Doraiswamy, Managing Director of the Corporation vide Government of India's notification dated July 14, 2025, as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation, for period of three years from the date of assumption of charge (i.e., July 14, 2025) or up to the date of his attaining the age of 62 years (i.e., August 28, 2028), or until further orders, whichever is earlier in the pay scale of ₹ 2,25,000/- (fixed), be and is hereby approved as recommended by the Board."

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 22, 2025
Place: Mumbai

Central Office:
Life Insurance Corporation of India
'Yogakshema', Jeevan Bima Marg,
Nariman point, Mumbai – 400 021
Tel. No: 022 – 2202 2079
Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

NOTES:

1. Meeting through VC/OAVM:

A. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") vide its General circular nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 09/2024 dated September 19, 2024, and any other applicable circular issued by MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular"), have permitted listed entities to conduct AGM through Video Conferencing facility ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on or before September 30, 2025, in compliance of various conditions mentioned therein.

In compliance with the aforesaid circulars issued by MCA and SEBI, applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956" or "LIC Act") read with rules and regulations made thereunder, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"/ "SEBI (LODR) Regulations, 2015"/ "Listing Regulations"), the 4th AGM of the Corporation is being held through VC/ OAVM facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Central Office shall be deemed to be venue for the 4th AGM.

B. Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 ("LIC Rules"), a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.

C. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode during 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by Institute of Company Secretaries of India ("ICSI").

D. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for at least 1,000 members on first-come-first-serve basis ("FCFS"). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Auditors.

E. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.com

F. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.

G. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories Participants as at the close of business hours on **July 25, 2025 (Friday) (Cut-off date)**. The Notice convening the 4th AGM have been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and is available on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Corporation shall send the physical copy of the Annual Report for the financial year 2024-25 only to those Members who specifically request for the same at investors@licindia.com mentioning their Folio numbers/DP ID and Client ID.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Corporation is also sending a letter to members whose e-mail address is not registered with the Corporation/ Depository Participant providing the exact web-link of Corporation's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.

2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 4 to 13 of this Notice is annexed hereto.

3. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the ICSI in respect of the Director(s) seeking appointment at the 4th AGM are annexed hereto as **Annexure - A** to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director(s) seeking appointment.

4. Record Date for Final Dividend:

a. Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 27, 2025 has recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended March 31, 2025. The Record Date for the purpose of final dividend is **Friday, July 25, 2025**.

b. Final Dividend for the financial year 2024-25, once approved by the members in the 4th AGM will be paid to the Members by **September 24, 2025 (Wednesday)**, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on **Friday, July 25, 2025**.

c. Members holding shares may please note that the dividend payable to the members will be paid through electronic mode only and to all those Members whose account detatils are updated with the Depository Participant on or before July 25, 2025. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants.

d. Pursuant to SEBI Master Circular issued to the Registrar and Transfer Agent, as amended, has mandated that, with effect from April 1, 2024, dividend to security holders holding shares in physical form shall be paid in electronic mode only. Such payment shall be made upon folio being KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz; full address with pin code, contact details including mobile number, bank account details, valid PAN linked to Aadhaar, nomination, specimen signature, etc. The relevant FAQs have been published by SEBI on its website and can be viewed or accessed at https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/sep-2024/1727418250017.pdf.

e. Members holding shares in physical form who have not updated their bank details and KYC are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed letter which shall contain name of the Members, folio number, bank details (viz. Bank account number, Name and address of the Branch of the Bank, IFSC, MICR details) (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at einward.ris@kfintech.com, on or before July 25, 2025.

f. The members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode at their address registered in Corporation's records.

5. Tax deducted at Source ("TDS") on Final Dividend:

Pursuant to the provisions of Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended, dividend income is taxable in the hands of the members and the Corporation is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the rates applicable as per the IT Act read with tax treaty as may be applicable. For the applicable rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 1961and the amendments thereof.

A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H, as is applicable.

Non-resident shareholders including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., Declaration on No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F and/or any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on Tuesday, July 08, 2025, whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before **Friday, July 25, 2025**.

6. Members to intimate changes in their details:

Members who are holding shares in physical form and whose details are to be updated or changed are advised to submit particulars of their bank account, viz; name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to Corporation's RTA, i.e., KFin Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500 032 along with the duly filled in Form ISR-1 and related documents of proof.

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant(s) only and not to the Corporation. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participants. The Corporation will not entertain any direct request from such Members for change of address, transposition of names, deletion of name of deceased joint holder and change in the bank account details. While making payment of dividend, the Registrar and Share Transfer Agent is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares.

Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act,1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

To prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Corporation or RTA of any change in address or demise of any member. Members are also advised not to leave their demat account(s) dormant for long. Periodic statement of holding may be obtained from the concerned Depository Participant, and holdings should be verified from time to time.

7. Dematerialisation of Shares:

Members may please note that the SEBI Listing Regulations mandate transfer, transmission and transposition of securities of listed companies held in physical form only in demat mode. Further, SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, read with relevant SEBI circulars issued from time-to-time, has mandated the listed companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Accordingly, members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members may contact to the Corporation or RTA along with requisite supporting documents prescribed in aforesaid circular, for assistance.

8. Disputes Resolution:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated August 11, 2023, has introduced a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to above-mentioned circulars, Members may note that in case of any dispute against the Corporation and/or its RTA, can file dispute resolution through the Online Dispute Resolution Portal for disputes arising out of Indian Securities Market (https://smartodr.in/login) and the same can be accessed through the Corporation's website at https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution. Members can use this mechanism only after they have lodged their grievance with the Corporation and SEBI Complaints Redressal System (SCORES) and are not satisfied with the outcome of the redressal.

9. Unclaimed Dividend and IEPF:

Members who wish to claim dividends, which remain unclaimed, are requested to either correspond with the Corporation at investors@licindia.com or RTA at einward.ris@kfintech.com, for revalidation and encashment before the due dates. The details of such unclaimed dividends are available on the Corporation's website at www.licindia.in.

Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unclaimed/Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

10. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at investors@licindia.com.

11. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

    (i) Members holding shares in physical form, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) at investors@licindia.com.

    (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in para 15 at step 1 (A) i.e., Login method for e-voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

    (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

12. Remote e-voting before/during the AGM:

    (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-voting system as well as remote e-voting during the AGM will be provided by NSDL.

    (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date i.e., Tuesday, August 19, 2025, may cast their vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice as for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories or RTA as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM. Any non-individual member or member holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., August 19, 2025 (Tuesday), may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com

    (iii) Individual members holding shares in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, i.e., August 19, 2025 (Tuesday), may follow the login process mentioned below in para 15.

    (iv) The remote e-voting period commences on Saturday, August 23, 2025 at 0900 hrs (IST) and ends on Monday, August 25, 2025 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., Tuesday August 19, 2025.

    (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible

to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting, i.e., August 26, 2025 (Tuesday).

(vi) The remote e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

13. Shri Atul Mehta (Membership No. FCS 5782) and failing him, Ms. Ashwini Inamdar (Membership No. FCS 9409) of M/s. Mehta & Mehta, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes cast through remote e-voting before/during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to NSDL, the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.

14. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

I. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned below under para 15 for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the **EVEN (134730)** of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password; may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice.

II. Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.

III. Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 4th AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at investors@licindia.com from Wednesday, August 20, 2025 at 0900 hrs (IST) to Friday, August 22, 2025 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.

IV. Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at investors@licindia.com between Thrusday, August 21, 2025 at 0900 hrs (IST) to Saturday, August 23, 2025 at 1700 hrs (IST). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

V. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Shri Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at sanjeevy@nsdl.com /022-4886 7000.

15. Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General Meeting are as under:

The remote e-voting period begins on Saturday, August 23, 2025 at 0900 hrs (IST) and ends on Monday, August 25, 2025 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Tuesday, August 19, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date.

The way to vote electronically on NSDL e-voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-voting system

1) Login method for e-voting and joining virtual meeting for Individual Members holding securities in demat mode:

In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email address in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual Members holding securities in demat mode is given below:

Type of Members	Login Method
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL.	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email address/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL site wherein you can see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-voting services under Value added services. Click on "Access to e-voting" under e-voting services and you will be able to see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-voting page. Click on company name or **e-voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of Members	Login Method
	4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App **"NSDL Speede"** facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-voting page of the e-voting service provider for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-voting Service Providers, so that the user can visit the e-voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-voting Service Providers.
Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-voting option. Click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-22-09911

2) Login Method for e-voting and joining virtual meeting for members other than Individual members holding securities in demat mode and members holding securities in physical mode.

1. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for members other than Individual members are given below:

   a) If you are already registered for e-voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-voting system.

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies **"EVEN"** in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select **"EVEN"** of company for which you wish to cast your vote during the remote e-voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolutions, you will not be allowed to modify your vote.

16. The instructions for e-voting during the Annual General Meeting (AGM) are as under:

(i) The procedure for e-voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

(ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.

(iii) Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

(iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting mentioned at para 14(v) at page no. 44.

17. General Guidelines for shareholders:

(i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

(ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: sanjeevy@nsdl.com and/or evoting@nsdl.com.

STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

Item No. 4

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956"), the Board of Directors in its meeting held on May 27, 2025, has also recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share for FY 2024-25, subject to the approval by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 7589.99 crore. This translates into a dividend pay-out ratio of 15.76%.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 4 set out in the notice.

Item No. 5

This Explanatory Statement is in terms of Regulation 36(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations"), though statutorily not required in terms of Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 ("LIC Rules").

M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, Mumbai (Firm Registration No.: 101872W/W100045) were appointed as the Joint Auditors of the Corporation by the Board of Directors of the Corporation for five years which were subsequently approved by the members of the Corporation in the first annual general meeting of the Corporation held on September 27, 2022, to hold office till the conclusion of the 4th annual general meeting of the Corporation to be held in the calendar year 2025, in terms of Section 25(9) of the LIC Act, 1956. The term of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, expires upon conclusion of the 4th AGM.

Pursuant to the provisions of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of LIC Rules, the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time, SEBI Listing Regulations, and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors' of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM.

In view of the foregoing provisions and upon completion of term of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, as Joint Auditors of the Corporation at this AGM, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and considering various factors such as industry experience, listed companies experience, competency of the audit team, efficiency in conduct of audit, independence, Comptroller and Auditor General of India ("C&AG") ranking, etc., and on the basis of the recommendation of the Audit Committee, propose the appointment of M/s. Mukund M. Chitale & Co., Chartered Accountant, as the Auditors of the Corporation, for the term of five consecutive years from the conclusion of 4th AGM till the conclusion of 9th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2030, at a remuneration approved by the Board of Directors of the Corporation on the basis of the recommendation of the Audit Committee.

M/s Mukund M Chitale & Co. is a Mumbai based audit firm having 51 years of experience. There are total 11 partners out of which 7 partners focus exclusively on audits. The firm is having a team of around 200 people, serving client across India.

The firm is an integrated professional service firm providing a wide range of services to their client like Auditing, Taxation & Consultancy.

M/s. Mukund M. Chitale & Co. have consented to their appointment as the Corporation Auditors and have confirmed that the appointment, if made, would be within the limits specified under Section 141 of the Companies Act, 2013 and that they are not disqualified to be appointed as the Auditors of the Corporation in terms of the applicable laws.

Accordingly, it is proposed to authorize the Board of Directors to approve other terms and conditions and remuneration for appointment of aforesaid Auditor on the recommendation of the Audit Committee. The name of the firm proposed to be appointed as Corporation Auditors is given in the resolution contained under item no. 5 of the AGM notice.

Further, in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956, the Zonal and Divisional Auditors are also being appointed to carry out the audit/ limited review of Corporation's Zonal and Divisional Offices periodically. The said appointment shall be made by the Board of Directors of the Corporation on the basis of recommendation of Audit Committee, as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any.

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Auditors (i.e., Corporation Auditors, Zonal Auditors and Divisional Auditors) under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

In view of the practical difficulty, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment of Auditors for Zonal Offices and Divisional Offices of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with rules made thereunder and as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, to approve their terms and on the other terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolutions, as set out under item no. 5 of the AGM Notice.

Item No. 6

The Government of India vide their notification dated April 17, 2025, has appointed Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation until further orders, in place of Dr. Maruthi Prasad Tangirala.

Dr. Parshant Kumar Goyal, is 2007 batch IAS officer of Tripura Cadre, presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC), Regional Rural Banks (RRBs) and Digital Payments. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

Second proviso of Regulation 17 (1C) of SEBI Listing Regulations provides that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors is taken at the next general meeting. Accordingly, in terms of Regulation 17 of SEBI Listing Regulations, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 6 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation.

Except Dr. Parshant Kumar Goyal and his relatives, and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 6.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 6 to the AGM Notice.

Item No. 7

The Government of India vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office on or after June 01, 2025 and upto the date of his superannuation (i.e., May 31, 2027) or until further orders, whichever is earliest. Shri Pant took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025.

Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Corporation prior to assuming the role of Managing Director, effective June 01, 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 7 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation.

Except Shri Dinesh Pant and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 7.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 7 to the AGM Notice.

Item No. 8

The Government of India vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office on or after June 01, 2025 and upto the date of his superannuation (i.e., March 31, 2028) or until further orders, whichever is earliest. Shri Patnaik took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025.

Shri Ratnakar Patnaik started his career in Life Insurance Corporation of India in the year 1990 as Assistant Administrative Officer. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he served the Corporation in various leadership positions such as Senior Divisional Manager (in-Charge) of Indore and Jamshedpur Divisions, Regional Manager (Chief Life Insurance Advisor), Eastern Zone. He has also served as Chief (Investment - Front Office), Executive Director (Investment - Front Office), Central Office and Chief Investment Officer (KMP). The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 8 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation.

Except Shri Ratnakar Patnaik and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 8.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 8 to the AGM Notice.

Item No. 9

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations, every listed entity is required to undertake secretarial audit by a secretarial auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and shall annex with its Annual Report, a secretarial audit report.

Further, Regulation 24A of the Listing Regulations *inter-alia*, provides that with effect from April 01 2025, the listed entities are required to appoint a Practicing Company Secretary for not more than one term of five consecutive years or a firm of Practicing Company Secretaries as Secretarial Auditors for not more than two terms of five consecutive years, with the approval of the members at its Annual General Meeting ("AGM") and such Secretarial Auditors(s) must be a Peer Reviewed Company Secretary and should not have incurred any of the disqualifications as specified under the Listing Regulations.

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co ("SNACO") is a reputed firm of Practising Company Secretaries, established in 1991 by Shri S. N. Ananthasubramanian - a Fellow Member and Past President of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). With over four decades of professional experience, Shri Ananthasubramanian has been instrumental in shaping the firm's legacy of excellence and regulatory expertise. SNACO is led by a team of five partners and supported by a cadre of experienced and qualified company secretaries. The firm offers a comprehensive range of services, including Secretarial Audits for both listed and unlisted companies, Corporate Governance Consulting, Regulatory and Compliance Advisory and Certifications under various corporate laws. The firms renowned for its diligence, deep regulatory insight, and unwavering professional integrity, SNACO has established itself as a trusted name in the field of Secretarial Audit and corporate law compliance.

Considering the Corporation's requirements and after a comprehensive evaluation of the proposals received through tendering process, including an assessment of technical capabilities, professional independence, industry-specific experience, domain expertise, strength of the audit partners & team and marks obtained. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the appointment of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries (Firm Registration No. P1991MH040400) as the Secretarial Auditors of the Corporation. The appointment is for a term of five consecutive years, commencing from the conclusion of the current Annual General Meeting (AGM) and continuing until the conclusion of the 9th AGM, proposed to be held in the calendar year 2030, covering the period from the financial years ending on March 31, 2026 and upto financial year ending March 31, 2030, subject to the approval of members of the Corporation.

The fee proposed to be paid to SNACO for the secretarial audit for each financial year, is ₹ 6,50,000/- (Rupees Six Lakh Fifty thousand only) plus applicable taxes and inclusive of out of pocket expenses. The proposed fee is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from SNACO.

SNACO has given its consent to act as the Secretarial Auditors, confirmed that they hold a valid peer review certificate issued by ICSI and that they are not disqualified from being appointed as Secretarial Auditors.

Accordingly, it is proposed to approve the appointment of SNACO as Secretarial Auditor of the Corporation and authorize the Board of Directors to approve terms and conditions for appointment of Secretarial Auditors on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 9 of the AGM Notice.

Item No. 10

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 10, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time, is provided as under:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

IDBI Bank Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

Payment of fees/ remuneration/ commission for distribution of life insurance products, to act as the corporate agent of the Corporation and other related business

IDBI Bank is a corporate agent registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in accordance with the applicable laws. The Corporation has entered into Corporate Agency agreement with IDBI Bank for distribution of life insurance products through extensive network of branches of IDBI Bank. The Corporation pays fees/ commission for distribution of life insurance products as per the regulations laid down by IRDAI. The level of fees paid is dependent on various factors, i.e., business volume, product mix, regulatory guidelines etc. The agreement with IDBI Bank is subject to renewal as

per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The strategic benefits of this bancassurance partnership is multi-dimensional and will continue to unfold over a long period of time.

Funded and Non-funded facilities

The Corporation is availing fund based and non-fund-based facilities from various banks (related/unrelated parties) as a part of ordinary course of business. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. The interest and fee expense paid to the Bank are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction depends on the value of the principal transaction. IDBI Bank is having extensive network of branches in India offering wide range of banking facilities.

Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued

At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business.

The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of products which fulfill the needs of different segments of society. Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.

Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto

Transactions involving subscription/redemption of securities from related parties are carried out by the Corporation as a part of its investment. The decision to invest depends on various factors i.e. market condition, valuation, issue size, regulatory limits etc. and subject to regulatory approvals wherever applicable. Thus, value of transactions cannot be ascertained. The securities offered by related parties in the primary market are subscribed by the Corporation at the prevailing market rate and at same terms at which these securities are offered to all prospective investors whereas secondary market purchase of securities is undertaken at prevailing market rates/fair values at an arm's length basis. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities. The Corporation in its ordinary course of business, enters into the above-mentioned transactions for risk management, manage liquidity, to manage maintenance of required regulatory ratio and to earn profits from trading activities by taking advantage of price/yield movements.

Other transactions

There could be other contracts/ transactions/ arrangements with IDBI Bank *inter-alia* in the nature of fees, commissions, brokerage, premium, rent, reimbursement, any other income/ expense and other activities including activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services and investment banking etc., in the ordinary course of Corporation's business.

Interest income on the investment will be in line with the coupon rate for the instruments held/subscribed by the Corporation in accordance with the terms and conditions of the instruments.

The Corporation, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans/advances or investment by the Corporation. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with IDBI Bank Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding

the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 10 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 10 of the AGM Notice.

Item No. 11

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 11, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time is provided herewith:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Housing Finance Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities, if any proposed to be issued by the LIC HFL	As per the terms and conditions of the products

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
2	Material Terms	The terms of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the LIC HFL and in accordance with applicable laws	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/ otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	As per the terms of the securities issued by the LIC HFL	As per policy terms and conditions of the product opted for
5	% of value of transaction/ the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024-25)	Not applicable	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Not applicable	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Not applicable	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	The Corporation may subscribe debt securities like NCDs/any other securities, if any issued by LIC HFL in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter. The Corporation is also eligible to redeem NCDs or any other securities, if any subscribed earlier or to be subscribed during the year or to receive interest on such securities uniformly applicable to all investors, in the interest of the Corporation.	The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of product, which fulfill the needs of different segments of society. Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 11 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 11 of the AGM Notice.

Item No. 12

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF at the 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 22, 2024, which will be valid till the 4th AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No.12, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time is provided herewith:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Purchase/ Redemption of units of Direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	Approximately up to ₹ 35,000 crore each for Purchase and/ or Redemption	As per the terms and conditions of the Products and the scale of business
2	Material Terms	90 days Redemption	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	90 days	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024-25)	7.13% each for Purchase and/or Redemption	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Investible Surplus	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not Applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not Applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Temporary parking of funds as per IRDAI norms	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	Temporary parking of funds as per IRDAI norms	The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of products which fulfils the needs of different segments of society Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies/schemes to various unrelated corporate entities and financial institutions.

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Purchase/ Redemption of units of Direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/empowered/to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

In terms of Regulation 23 of the SEBI Listing Regulations, the Audit Committee has granted its omnibus approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Corporation with LIC MF during FY 2025-26, including as stated in the resolution and explanatory statement. The Audit Committee has further noted that the said transactions with the LIC MF are on arm's length basis and in the ordinary course of the Corporation's business. The management has provided the Audit Committee with a description of the transactions including material terms and basis of pricing.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 12 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 12 of the AGM Notice.

Item No. 13

The Government of India vide their notification dated July 14, 2025, has appointed Shri R Doraiswamy, Managing Director as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation for a period of three years from the date of assumption of charge or upto the date of his attaining the age of 62 years (i.e., August 28, 2028) or until further orders, whichever is earliest.

Shri R Doraiswamy took charge as Chief Executive Officer & Managing Director (CEO & MD) of the Corporation on July 14, 2025. Prior to taking charge as CEO & MD, he was the Managing Director of the Corporation. He is a Direct Recruit officer of 17th Batch with more than 39 years of rich and diverse experience in operations, Marketing, Technology and Academics. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 13 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri R Doraiswamy as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation.

Except Shri R Doraiswamy and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 13.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 13 to the AGM Notice.

By order of the Board of Directors
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 22, 2025

Place: Mumbai

Central Office:
Life Insurance Corporation of India
'Yogakshema', Jeevan Bima Marg,
Nariman point, Mumbai – 400 021
Tel. No: 022 – 2202 2079
Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	**Dr. Parshant Kumar Goyal**		
Age	45 years		
Nationality	Indian		
Qualification	MBBS		
DIN	08652921		
Brief Resume	Dr. Parshant Kumar Goyal, is 2007 batch IAS officer of Tripura Cadre, presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC), Regional Rural Banks (RRBs) and Digital Payments. Dr. Parshant Kumar Goyal is the Government Nominee Director on the Board of Canara Bank, New India Assurance Co. Ltd. and National Insurance Academy (NIA). Dr. Goyal is also a Part Time Member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Member of the Council of Insurance Ombudsmen and Member of the Council of Institute of Actuaries of India. Dr. Goyal has done MBBS from Punjab University. He also has a rich experience of working in Education and Industry & Commerce Departments in State of Punjab and Tripura		
Expertise in specific functional areas	Administration, Financial Services, Insurance and Corporate Governance		
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated April 17, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212		
Details of remuneration	Not Applicable		
Date on which first appointed on the Board	April 17, 2025		
Details of shareholding in the Corporation	Nil		
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None		
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Dr. Goyal, Government Nominee Director has attended five(5) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.		
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	**Name of Company**	**Board Membership**	**Committee/Membership (Audit Committee/Stakeholders Relationship Committee**
	Canara Bank	Government Nominee Director	Audit Committee-Member
	The New India Assurance Company Limited	Government Nominee Director	Audit Committee - Member Stakeholders Relationship Committee - Chairperson
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Bank of Maharashtra		

Name of Director	Shri Dinesh Pant
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B. Tech, LL. B, Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK and MBA
DIN	11134993
Brief Resume	Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Life Insurance Corporation of India (LIC) prior to assuming the role of Managing Director, effective 1st June 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration. Before his appointment as Appointed Actuary in 2017, Shri Pant gained nearly five years of experience as the Product Actuary and Actuary for International Operations at LIC. During this period, he led the overall product and actuarial strategy, aligning them with the Corporation's business framework. Notably, he is among the few LIC officers who transitioned into the specialized field of actuarial functions after a successful tenure leading marketing operation at prominent branches in India and a reputed overseas life insurance operation. Earlier, after training by IIM-A in 2002, he joined LIC's Investment Research team, gaining extensive exposure across various Investment Operations, including debt, equity, restructuring, venture funds, and project finance, before finally leading the important Treasury Desk of the Corporation. As Appointed Actuary, Shri Pant was part of the LIC's Key Management team and played a pivotal role in the successful planning and launch of LIC's mega IPO in 2022. He has been instrumental in steering LIC towards profitable and sustainable growth post-IPO, creating value for all stakeholders. Earlier in his career, he had the distinction of heading the Life operations at Kenindia Assurance Company Ltd., Kenya, as the General Manager (Life), overseeing the marketing and overall operations of the life insurance business of this composite insurance company, for over five years. Since joining LIC in 1989 as a direct recruit officer, he had an extensive exposure in most of the operational areas followed by a short stint as one of the youngest Assistant Branch Manager (Sales) from his batch before being promoted to lead some of the most distinguished branches of LIC of India in Rajasthan and Delhi. He subsequently took over the role of Manager (New Business & Actuarial) and Legal before joining the Investment Research Cell at the Corporate Office. Shri Pant has been a permanent special invitee to the Board of LIC since 2017 and has served on several sub-committees, such as the Investment Committee, Risk Management Committee, and With-Profit Committee. He advises top management and the Board on key functional areas, including products, valuation, and risk management practices and strategies.

Name of Director	Shri Dinesh Pant
	A passionate advocate for education, Shri Pant has contributed to academia as a visiting faculty member at various institutes, including the National Insurance Academy. He has also developed course materials for insurance professional bodies. Furthermore, he has served on various committees of professional bodies and regulators, including the Health Committees of FICCI and the Pension Advisory Committee of PFRDA. He has chaired and been a member of numerous committees and sub-committees formed by IRDAI, focusing on areas such as product regulations, index-linked products, investments, and risk-based capital. With over 35 years of rich experience in key and specialized areas of insurance and finance, Shri Dinesh Pant continues to be a significant contributor to the industry.
Expertise in specific functional areas	Actuarial, Administration, Finance, Marketing, Investment operation, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated May 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated May 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988
Date on which first appointed on the Board	June 01, 2025
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Pant, Managing Director has attended two(2) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Name of Director	Shri Ratnakar Patnaik
Age	57 years
Nationality	Indian
Qualification	Graduate in Physics (Honors), Post Graduate in Public Administration, Fellow Member, Insurance Institute of India and Diploma holder in health insurance
DIN	10283908
Brief Resume	Shri Ratnakar Patnaik started his career in Life Insurance Corporation of India in the year 1990 as Assistant Administrative Officer. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he served the Corporation in various leadership positions such as Senior Divisional Manager (in-Charge) of Indore and Jamshedpur Divisions, Regional Manager (Chief Life Insurance Advisor), Eastern Zone. He has also served as Chief (Investment - Front Office), Executive Director (Investment - Front Office), Central Office and Chief Investment Officer (KMP). A graduate in Physics (Honours) and a post graduate in Public Administration, he is also a Fellow of Insurance Institute of India and a Diploma holder of Health Insurance.
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance, Investment Operation and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated May 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated May 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988
Date on which first appointed on the Board	June 01, 2025
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Patnaik, Managing Director has attended two(2) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Name of Director	Shri R Doraiswamy
Age	59 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Sc (Mathematics), Fellow Member, Insurance Institute of India and a student member of the Institute of Actuaries of India
DIN	10358884
Brief Resume	Shri R Doraiswamy took over charge as CEO & MD of Life Insurance Corporation of India on July 14, 2025. Prior to taking charge as CEO & MD, he was the Managing Director of the Corporation. He is a Direct Recruit officer of 17th Batch with more than 39 years of rich and diverse experience in operations, Marketing, Technology and Academics. As Managing Director, Shri R. Doraiswamy headed Marketing through Bancassurance, Group Business, Customer relations, Finance, Compliance functions, et al. He has held various leadership positions within the Organization as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai-I, Thanjavur and Pune divisions. He had spearheaded the modernization of IT infrastructure and Business Applications of LIC's Individual Business as Chief & Executive Director. He achieved tremendous growth and productivity improvement in the areas of Group Insurance Marketing in Southern Zone, during his stint as Regional Manager. As Research Associate at National Insurance Academy, Pune he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management & Chartered Financial Planning. Shri Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated July 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated July 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India, Chief Executive (Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1998. Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 253 for remuneration paid during last Financial Year 2024-25 in capacity of Managing Director.
Date on which first appointed on the Board	September 01, 2023
Details of shareholding in the Corporation	35 Equity Shares
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the Financial Year 2024-25 and till the date of notice	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 226 for the Financial Year 2024-25. The Corporation has conducted five(5) Board Meetings during the Financial Year 2025-26, till the date of this notice in which Shri Doraiswamy has attended all the Board Meetings in the capacity of Managing Director.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 227 to 229
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Information at a glance

S.No.	Particular	Details
1	Date and Time of AGM	Tuesday, August 26, 2025 at 1130 hrs (IST)
2	Mode of conduct	Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")
3	Link to participate in the AGM through VC/OAVM	https://www.evoting.nsdl.com/ *(For details please refer Para 15 under Notes of this notice)*
4	Contact details of NSDL for assistance before or during the AGM	Email: evoting@nsdl.com Contact No.: 022-48867000 Member may connect with: Shri Sanjeev Yadav (Assistant Manager-NSDL) at sanjeevy@nsdl.com
5	Record date for Final Dividend	Friday, July 25, 2025
6	Cut-off date to determine entitlement for e-voting	Tuesday, August 19, 2025
7	E-voting start date	Saturday, August 23, 2025 @ 0900 hrs (IST)
8	E-voting end date	Monday, August 25, 2025 @ 1700 hrs (IST)
9	E-voting event number (EVEN)	134730
10	Registration as speaker shareholder	Commence from Thrusday, August 21, 2025 at 0900 hrs (IST) to Saturday, August 23, 2025 at 1700 hrs (IST) Send email to investors@licindia.com *(Please send the request from your registered e-mail ID and mention name, DP ID and Client ID/Folio No., PAN, Mobile No. in the e-mail sent for registration)*
11	Name, address and contact details of Registrar and Share Transfer Agent	Name : KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Address : Selenium Building, Tower-B, Plot no 31& 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032 Email Id for register queries : einward.ris@kfintech.com Tollfree No. : 1800 309 4001 Whatsapp Number : +91-91000-94099 Website : https://ris.kfintech.com/ Investor support Centre : https://kprism.kfintech.com/
12	Live webcast of AGM	https://www.evoting.nsdl.com/
13	QR Code for accessing the notice of AGM & Annual Report	